Government of Western Australia
Mental Health Commission

आपको अधिकार है:

- अपने अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने, किसी भी उपचार की पेशकश के बारे में आपको पूरी तरह से सूचित किए जाने और अपने प्रश्नों के उत्तर लेने का
- अस्पताल में भर्ती होने के बाद शारीरिक जाँच का
- मनोचिकित्सक के साथ एक साक्षात्कार का
- किसी भी उपचार को मना करने का जिसे आप नहीं चाहते
- किसी भी समय अस्पताल छोड़ने का
- एक नामित व्यक्ति को नामांकित करने का ('नामित व्यक्तियों' की विवरणिका देखें)
- लोगों से डाक, फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा संपर्क करने का और आगंतुकों से मिलने का (यह अधिकार प्रतिबंधित किया जा सकता है)
- गुप्तता और गोपनीयता का
- अपने मेडिकल रिकॉर्ड की पहुँच का (यह अधिकार प्रतिबंधित किया जा सकता है)
- अस्पताल में रहते समय अपनी निजी संपत्ति सुरक्षित रूप से रखने का
- अपनी मानसिक स्वास्थ्य सेवा या स्वास्थ्य और विकलांगता सेवा शिकायत कार्यालय (हैल्थ एंड डिसैबिलिटी सर्विसिस् कम्प्लेंट्स आफ़िस) (एचएडीएससीओ) को शिकायत करने का (फ़ो: 1800 813 583)
- यदि आप एक अधिकृत अस्पताल में लंबी अवधि के स्वैच्छिक रोगी हैं तो अपने मामले की मानसिक स्वास्थ्य न्यायाधिकरण द्वारा समीक्षा किए जाने का (फ़ो: 08 6145 3900)।

अतिरिक्त जानकारी

इस विवरणिका में दी गई जानकारी मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2014 में निर्धारित कानूनों से संबंधित है। अधिनियम के बारे में जानकारी निम्नलिखित पुस्तिकाओं के सेट में संक्षेप से दी गई है:

- जाँच के लिए एक मनोचिकित्सक के पास भेजा जाना
- भर्ती रोगी (इनपेशेंट) उपचार आदेश
- सामुदायिक उपचार आदेश
- स्वैच्छिक रोगियों के लिए जानकारी
- मानसिक बीमारी का इलाज कराना
- निजी सहायक व्यक्तियों के लिए जानकारी
- नामित व्यक्ति: नामांकन कैसे किया जाए और इसका क्या मतलब है।

अन्य विवरणिकाएं:

- द मेन्टल हैल्थ ट्रिब्यूनल
- द मेन्टल हैल्थ एडवोकेसी सर्विस
- द मेन्टल हैल्थ लॉ सर्विस से उपलब्ध हैं।

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2014 और अन्य संसाधनों के बारे में अधिक जानकारी के लिए मानसिक स्वास्थ्य आयोग (मेन्टल हैल्थ कमीशन) की वेबसाइट www.mhc.wa.gov.au पर जाएँ या (08) 6272 1200 पर फ़ोन करें।

This document can be made available in other languages and alternative formats on request.

Published by the Mental Health Commission (2015)

अस्पताल में स्वैच्छिक रोगियों के लिए जानकारी

यह विवरणिका आपको जानकारी प्रदान करती है कि आपके क्या अधिकार हैं और आप क्या आशा कर सकते हैं यदि आप अस्पताल में एक स्वैच्छिक रोगी के रूप में मानसिक बीमारी का इलाज करा रहे है।

अस्पताल में एक स्वैच्छकि रोगी बनना

यदि आपको एक स्वैच्छकि रोगी के रूप में अस्पताल में भर्ती कराया गया है तो यह इसलिए क्योंकि:

- मनोचिकित्सिक को विश्वास था कि अस्पताल में प्राप्त होने वाले उपचार और देखभाल से आपको लाभ होगा, और
- आपने (या जो आपकी ओर से सहमति प्रदान कर सकते हैं - जैसे कि अभिभावक ने) अपनी भर्ती कराए जाने के लिए सहमति दी।

आप क्या आशा कर सकते हैं?

आप वार्ड में रहने वाले रोगियों की संख्या में से एक होगें और कर्मचारी वार्ड में रहने के नियिम और दिनचर्या समझाएंगे। अस्पताल में रहते समय आप मनोचिकित्सिक और अन्य कर्मचारियों जैसे कि मनोवैज्ञानकि, सामाजकि कार्यकर्ता, व्यावसायकि चकित्सिक और नर्सों को देखेंगे। आपकी मानसकि बीमारी के लिए सबसे अच्छे इलाज और देखभाल का पता लगाने के लिए आपका संपूर्ण शारीरकि और मानसकि आकलन किया जाएगा।

आप क्या उपचार प्राप्त कर सकते हैं?

उपचार में दवा के साथ-साथ व्यावसायकि चकित्सिा, व्यक्तगित या सामूहकि परामर्श, मनोवैज्ञानकि कार्यक्रम और बिजिली के झटकों से चकित्सिा (इलेक्ट्रोकन्वल्सवि थेरेपी) शामिल हो सकते हैं।

स्वैच्छकि रोगी होने का मतलब है कि कोई भी इलाज आप की (या जो आपकी ओर से सहमति प्रदान कर सकते हैं- जैसे कि अभिभावक) अवगत सहमति के बिना नहीं प्रदान किया जा सकता।

अवगत सहमति देने में सक्षम होने के लिए आप को:

- अपने इलाज के बारे में जानकारी, वैकल्पकि उपचार और किसी भी ख़तरे की चेतावनी के बारे में स्पष्टीकरण को समझने,
- अपने इलाज के फैसले में शामलि मामलों को समझने,
- अपने इलाज के निर्णिय के प्रभाव को समझने,
- अपने फैसले में शामलि कारकों मूल्यांकन करने, और
- अपना निर्णिय बताने के योग्य होना होगा।

आपको यह जानकारी समझने, प्रश्न पूछने और अधकि जानकारी या सलाह के लिए अनुरोध करने के लिए भी पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

यदि आप इलाज लेना मना करते हैं और कर्मचारी इसे आपके जीवन को बचाने के लिए या आपको अपने आप को या दूसरों को शारीरकि नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए आवश्यक मानते हैं, तो उपचार आपकी सहमति के बिना दिया जा सकता है। इसे मानसकि रोग का आपातकालीन इलाज कहा जाता है।

छुट्टी और अस्पताल छोड़ना

स्वैच्छकि रोगी के नाते आप जब चाहें अस्पताल छोड़ सकते हैं, या आपका मनोचिकित्सिक आपको छुट्टी दे सकता है। यदि आप स्वयं को छुट्टी दलिाने के बारे में सोच रहे हैं तो यह महत्त्वपूर्ण है कि आप पहले अपने मनोचिकित्सिक और स्टाफ़ के अन्य सदस्यों के साथ चर्चा करें।

क्या आपको अपनी इच्छा के विरुद्ध अस्पताल में रखा जा सकता है?

यदि आप डाक्टरी सलाह के खलिाफ़ अस्पताल छोड़ना चाहते हैं और डॉक्टर या एक अधकृित मानसकि स्वास्थ्य व्यवसायी (एक अत्यंत योग्य मानसकि स्वास्थ्य व्यवसायी), सोचता है कि आपको अनैच्छकि उपचार के आदेश की ज़रूरत हो सकती है तो वह आपको फ़ार्म 1ए रेफ़रल द्वारा मनोचिकित्सिक से जाँच करवाने के लिए भेज सकता है।

यदि आप एक अधकृित अस्पताल (अस्पताल जो अनैच्छकि रोगियों को भी भर्ती करता है), में हैं तो आपको 6 घंटे तक जाने से रोका जा सकता है ताकि डॉक्टर / व्यवसायी आपको देख सकें और तय कर सकें कि आपको मनोचिकित्सिक के पास भेजा जाए या नहीं।

यह फैसला करने के लिए कि आपको अनैच्छकि उपचार की ज़रूरत है या नहीं, जाँच करते समय मनोचिकित्सिक निम्नलिखिति कसौटियों पर विचार करेंगे:

- क्या आपको एक मानसकि बीमारी है जिसके लिए उपचार की आवश्यकता है?
- यदि आपको उपचार नहीं मलिता है तो क्या आप को या किसी और व्यक्ति को महत्त्वपूर्ण ख़तरा है?
- क्या आप इतने स्वस्थ हैं कि उपचार के बारे में निर्णिय ले सकें?
- क्या अनैच्छकि उपचार के अलावा आपको उपचार उपलब्ध कराने का कोई कम प्रतबिंधक रास्ता है?

यदि आप एक अनैच्छकि रोगी होने की ज़रूरत की कसौटियों पर पूरे नहीं उतरते, तो आपको जाने की अनुमति दे दी जाएगी।